क्रम-संख्या—291

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 24 नवम्बर, 2011

अग्रहायण 3, 1933 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग–1

संख्या– 4349 / 9.1.11–71सा0 / 2011

लखनऊ, दिनांक 24 नवम्बर, 2011

अधिसूचना

प0आ0 581

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 23 की उपधारा (2) और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1916) की धारा 9–क के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा–296 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उक्त अधिनियम 1916 की धारा 300 की अपेक्षानुसार सरकारी अधिसूचना संख्या : 1728 / 9.1.11–71सा / 2011, दिनांक 26 सितम्बर, 2011 में प्रकाशित आदेश के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात्, उत्तर प्रदेश नगरपालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) नियमावली, 1994 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर पालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2011 कही जायेगी।

(2) यह उत्तर प्रदेश में सभी नगर पालिकाओं पर लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत होगी।

नियम–5 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश नगर पालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) नियमावली, 1994 के नियम 5 में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए उप नियम–1 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–एक **विद्यमान उपनियम**	स्तम्भ–दो **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम**
(1) अन्य उपनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियम 4 के अधीन अवधारित स्थानों की संख्या किसी नगर पालिका में, विभिन्न कक्षों को एतद्पश्चात् उपबन्धित रीति से आवंटित की जायेगी:–	(1) अन्य उपनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियम–4 के अधीन अवधारित स्थानों की संख्या किसी नगर पालिका में, विभिन्न कक्षों को एतद्पश्चात् उपबन्धित रीति से आवंटित की जायेगी:–
(क) पहले नगर पालिका क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुसार नगर पालिका के कक्षों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उप नियम (2) के अधीन अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के उप नियम (1) के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों को जिनमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नगर पालिका क्षेत्र में सबसे अधिक हो, आवंटित किया जायेगा और ऐसे कक्षों को जिनमें इस खण्ड के अधीन इस प्रकार आवंटित स्थानों को अनुसूचित जातियों की जनसख्या के आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा और अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या पुनर्व्यवस्थित किये गये ऐसे कक्षों को पहले आवंटित की जायेगी :	(क) पहले नगर पालिका क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुसार नगर पालिका के कक्षों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उप नियम (3) के अधीन अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के उप नियम (1) के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों को जिनमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नगर पालिका क्षेत्र में सबसे अधिक हो, आवंटित किया जायेगा:
परन्तु उस कक्ष को, जिसमें किसी निर्वाचन में अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए स्थान आवंटित किया गया था उसके ठीक बाद वाले निर्वाचन में अनुसूचित जाति की महिलाओं को आवंटित नहीं किया जायेगा और ऐसे अगले कक्ष को आवंटित किया जायेगा जिसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान हों ;	परंतु यह कि ऐसे कक्षों को पहले अनुसूचित जाति की महिलाओं को आवंटित किया जायेगा।
(ख) फिर उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क) के अधीन स्थान आवंटित किये गये हैं, कक्षों को नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उप नियम (2) के अधीन अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को	(ख) फिर उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क) के अधीन स्थान आवंटित किये गये हैं, कक्षों को नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उप नियम (3) के अधीन अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को

स्तम्भ—एक विद्यमान उपनियम	स्तम्भ—दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के उपनियम (1) के अधीन अनुसूचित जनजातियों के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों की जिनमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या नगर पालिका क्षेत्र में सबसे अधिक हो आवंटित किया जायेगा और ऐसे कक्षों जिनमें इस खण्ड के अधीन इस प्रकार आवंटित स्थान को अनुसूचित जनजातियों की जनसख्या के आरोही कम में पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या पुनर्व्यवस्थित किये गये ऐसे कक्षों को पहले आवंटित की जायेगी :	सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के उपनियम (1) के अधीन अनुसूचित जनजातियों के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों की जिनमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या नगर पालिका क्षेत्र में सबसे अधिक हो आवंटित किया जायेगा।
परन्तु उस कक्ष को, जिसमें किसी निर्वाचन में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए स्थान आंवटित था उसके ठीक बाद वाले निर्वाचन में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आवंटित नहीं किये जायेगें और ऐसे अगले कक्ष को आंवटित किया जायेगा जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित हों ;	परन्तु यह कि ऐसे कक्षों को पहले अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आवंटित किया जायेगा।
(ग) फिर उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क) और (ख) के अधीन स्थान आवंटित किये गये हैं। कक्षों को नगर पालिका क्षेत्र में पिछड़े वर्गो की जनसंख्या के अनुसार अवरोही कम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उप नियम (2) के अधीन पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के उपनियम (2) के अधीन पिछड़े वर्गो के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों, को जिनमें पिछड़े वर्गो की जनसंख्या नगर पालिका क्षेत्र में सबसे अधिक हो आवंटित किया जायेगा और ऐसे कक्षों को जिनमें इस खण्ड के अधीन इस प्रकार आवंटित स्थानों को पिछडे वर्गो की महिलाओं की जनसख्या के आरोही कम में पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा और पिछडे वर्गों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या पुनर्व्यवस्थित किये गये ऐसे कक्षों को पहले आवंटित की जायेगी;	(ग) फिर उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क) और (ख) के अधीन स्थान आवंटित किये गये है। कक्षों को नगर पालिका क्षेत्र में पिछड़े वर्गो की जनसंख्या के अनुसार अवरोही कम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उप नियम (3) के अधीन पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए उक्त नियम के उपनियम (2) के अधीन पिछड़े वर्गो के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों, जिनमें पिछड़े वर्गो की जनसंख्या नगर पालिका क्षेत्र में सबसे अधिक हो आवंटित किया जायेगा:
परन्तु उस कक्ष को, जिसमें किसी निर्वाचन में पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिए स्थान आंवटित था, उसके ठीक बाद वाले निर्वाचन में पिछड़े वर्गो की महिलाओं को आवंटित नहीं किया जायेगा और ऐसे अगले कक्ष को आंवटित किया जायेगा जिसमें पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित स्थान हों ;	परंतु यह कि ऐसे कक्षों को पहले पिछड़े वर्गों की महिलाओं को आवंटित किया जायेगा।

स्तम्भ—एक

विद्यमान उपनियम

(घ) उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन स्थान आवंटित किये गये हैं, कक्षों को नगर पालिका क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुसार आरोही कम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उप नियम (2) के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को छोड़ते हुए उक्त नियम के उपनियम (3) के अधीन महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों में पहले आवंटित किया जायेगा :

परन्तु उस कक्ष को जिसमें इस खण्ड के अधीन किसी निर्वाचन में महिलाओं को आवंटित स्थान था उसके ठीक बाद वाले निर्वाचन में इस खण्ड के अधीन महिलाओं को आवंटित नहीं किया जायेगा और उसे अगले कक्ष को आवंटित किया जायेगा।

स्तम्भ—दो

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

(घ) उन कक्षों को छोड़कर जिन्हें खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन स्थान आवंटित किये गये हैं, कक्षों को नगर पालिका क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा और नियम 4 के उप नियम (3) के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को छोड़ते हुए उक्त नियम के उपनियम (4) के अधीन महिलाओं के लिए अवधारित स्थानों की संख्या को ऐसे कक्षों में पहले आवंटित किया जायेगा।

स्पष्टीकरणः इस उपनियम के खण्ड (क), (ख) और (ग) के प्रयोजनों के लिए कक्षों को इस रीति से अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा कि नगर पालिका क्षेत्र में यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के सबसे अधिक जनसंख्या वाले कक्ष को पहले रखा जायेगा और ऐसी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों की पहले कक्ष से कम जनसंख्या वाले कक्ष को उसके बाद रखा जायेगा और इसी प्रकार आगे भी और खण्ड (घ) के प्रयोजनों के लिए नगर पालिका क्षेत्र में कक्षों की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए समान रीति से कक्षों को व्यवस्थित किया जायेगा।

(ङ) ऐसे कक्ष, जिनमें किसी निर्वाचन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों अथवा महिलाओं को स्थान आवंटित किये गये थे, अगले होने वाले निर्वाचन में क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों अथवा महिलाओं को आवंटित नहीं किए जायेंगें और अनुवर्ती निर्वाचनों में कक्षों के स्थानों का आवंटन खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) में संदर्भित क्रमानुसार चक्रानुक्रम में किया जायेगा।

आज्ञा से,

दुर्गा शंकर मिश्र,

प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 4349 /IX-1-2011-71SA/2011, dated November 24 , 2011.

No. 4349 /IX-1-2011-71SA/2011

Lucknow Dated November 24 , 2011

In exercise of the powers under section 296 read with section 9-A of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916) , and sub-section (2) of section 23 of Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P.Act no. 1 of 1904) , the Governor , after considering the objections and suggestions received in pursuance of order published in Government notification no. 1728 /9-1-2011-71SA/2011, dated September 26, 2011 as required under section 300 of the said Act of 1916 , is pleased to make the following rules with a view to amending the the Uttar Pradesh Municipalities (Reservation and Allotment of Seats and offices) Rules, 1994 :-

THE UTTAR PRADESH MUNICIPALITIES (RESERVATION AND ALLOTMENT OF SEATS AND OFFICES) (SIXTH AMENDMENT) RULES 2011

Short title, application and commencement

1.(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Municipalities (Reservation and Allotment of Seats and Offices) (Sixth Amendment) Rules, 2011

(2) They shall be applicable to all the Municipalities in Uttar Pradesh.

(3) They shall be come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Amendment of rule-5

2. In the Uttar Pradesh Municipalities (Reservation and Allotment of Seats and Offices) Rules, 1994 in rule-5 for sub rule (I) set out in column-1 below, the sub-rule as set out in column-II, shall be substituted, namely :-

COLUMN-1 *Existing sub-rule*	COLUMN-II *Sub-rule as hereby substituted*
(1) Subject to the provisions of other sub- rules, the number of seats determined under Rule 4 shall be allotted to different wards in a Municipality in the manner hereinafter provided-	**(1)** Subject to the provisions of other sub- rules, the number of seats determined under rule 4 shall be allotted to different wards in a Municipality in the manner hereinafter provided-
(a) the wards of the Municipality shall be first arranged in accordance with the population of the Scheduled Castes in the municipal area in descending order and the number of seats determined under sub-rule (1) of Rule 4 for the Scheduled Castes, including the number of seats determined under sub-rule (2) of the said rule for the women belonging to the Scheduled Castes, shall be allotted to such wards which have the largest population of the Scheduled Castes in the municipal area and the wards to which the seats so allotted under this clause shall be rearranged in the ascending order of the population of the Scheduled Castes and the number of seats determined for the women belonging to the Scheduled Castes shall be first allotted to such wards so rearranged;	(a) the wards of the Municipality shall be first arranged in accordance with the population of the Scheduled Castes in the municipal area in descending order and the number of seats determined under sub-rule (1) of rule 4 for the Scheduled Castes, including the number of seats determined under sub-rule (3) of the said rule for the women belonging to the Scheduled Castes, shall be allotted to such wards which have the largest population of the Scheduled Castes in the municipal area.
Provided that the ward wherein the seat allotted in any election to the women belonging to the Scheduled Castes shall not be allotted to the women belonging to the Scheduled Castes in the election immediately succeeding it and shall be allotted to the next ward having reserved seats for the Scheduled Castes:	Provided that such wards shall be first allotted to the women belonging to the Scheduled Castes;

COLUMN-I *Existing sub-rule*	COLUMN-II *Sub-rule as hereby substituted*
(b) the wards, excluding those to which seats have been allotted under Clause (a), shall then be arranged in accordance with the population of the Scheduled Tribes in the municipal area in descending order and the number of seats determined under sub-rule (1) of Rule 4 for the Scheduled Tribes, including the number of seats determined under sub-rule (2) of the said rule for the women, belonging to the Scheduled Tribes, shall be allotted to such wards which have the largest population of the Scheduled Tribes in the municipal area and the wards to which the seats so allotted under this clause shall be rearranged in the ascending order of the population of the Scheduled Tribes and the number of seats determined for the women belonging to the Scheduled Tribes shall be first allotted to such wards so rearranged:	(b) the wards, excluding those to which seats have been allotted under clause (a), shall then be arranged in accordance with the population of the Scheduled Tribes in the municipal area in descending order and the number of seats determined under sub-rule (1) of rule 4 for the Scheduled Tribes, including the number of seats determined under sub-rule (3) of the said rule for the women, belonging to the Scheduled Tribes, shall be allotted to such wards which have the largest population of the Scheduled Tribes in the municipal area.
Provided that the ward wherein the seat allotted in any election to the women belonging to the Scheduled Tribes shall not be allotted to the women belonging to the Scheduled Tribes in the election immediately succeeding it and shall be allotted to the next ward having reserved seats for the Scheduled Tribes:	Provided that such wards shall be first allotted to the women belonging to the Scheduled Tribes;
(c) the wards, excluding those to which seats have been allotted under Clause (a) and (b) shall then be arranged in accordance with the population of the Backward Classes in the municipal area in descending order and the number of seats determined under sub-rule (1) of rule 4 for the backward classes, including the number of seats determined under sub-rule (2) of the said rule for the women, belonging to the backward classes, shall be allotted to such wards which have the largest population of the backward classes in the municipal area and the wards to which the seats so allotted under this clause shall be rearranged in the ascending order of the population of the Backward Classes and the number of seats determined for the women belonging to the Backward Classes shall be first allotted to such wards so rearranged:	(c) the wards, excluding those to which seats have been allotted under clause (a) and (b), shall then be arranged in accordance with the population of the backward classes in the municipal area in descending order and the number of seats determined under sub-rule (2) of rule 4 for the backward classes, including the number of seats determined under sub-rule (3) of the said rule for the women, belonging to the backward classes, shall be allotted to such wards which have the largest population of the backward classes in the municipal area.

COLUMN-I *Existing sub-rule*	COLUMN-II *Sub-rule as hereby substituted*
Provided that the ward wherein the seat allotted in any election to the women belonging to the backward classes shall not be allotted to the women belonging to the backward classes in the election immediately succeeding it and shall be allotted to the next ward having reserved seats for the backward classes:	Provided that such wards shall be first allotted to the women belonging to the Backward Classes;
(d) the wards, excluding those to which seats have been allotted under clauses (a), (b) and (c), shall then be arranged in accordance with the population of the wards in the municipal area in ascending order and the number of seats determained under sub-rule (3) of rule 4 for the women, excluding the number of seats determined under sub-rule (2) of the said rules for the women, belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the Backward Classes, shall be first allotted in such wards;	(d) the wards, excluding those to which seats have been allotted under clauses (a), (b) and (c), shall then be arranged in accordance with the population of the wards in the municipal area in descending order and the number of seats determained under sub-rule (4) of rule 4 for the women, excluding the number of seats determined under sub-rule (3) of the said rules for the women, belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the backward classes, shall be first allotted in such wards;
Provided that the ward wherein the seat allotted in any election to the women under this clause shall not be allotted to the women under this clause in the election immediately succeeding it and shall be allotted in the next ward.	
	Explanation: - For the purposes of clause [a],[b] and [c] of this sub-rule, the arrangement of wards in descending order shall be done in the manner that the ward having the largest population of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or the backward classes, as the case may be, in the municipal area shall be placed first and ward having lesser population of Scheduled Castes, Scheduled Tribes or the backward classes than the first shall be placed next and so on and for the purposes of clause [d], the wards shall be arranged in the like manner keeping in view the population of the wards in the municipal area.
	(e) The wards wherein the seat allotted in any election to the person

COLUMN-1	COLUMN-II
Existing sub-rule	*Sub-rule as hereby substituted*
	belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the backward classes or the women shall not be allotted in the next following election respectively to the person belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the backward classes or the women and the seats to the wards in subsequent elections shall be allotted in cyclic order in the order referred to in clauses (a),(b), (c) and (d).

By order,

DURGA SHANKER MISHRA,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 476 राजपत्र–(हिन्दी)–2011–(1256)–599 प्रतियां–(कम्प्युटर / टी / आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 10 सा0 नगर विकास–2011–(1257)–1000 प्रतियां–(कम्प्युटर / टी / आफसेट)।